किशोर न्याय अधिनियम और इससे संबंधित कानून पर बाल न्यायालयों के न्यायाधीशों, प्रधान मजिस्ट्रेट और जेजे बोर्ड के सदस्यों, सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष और सदस्यों, पुलिस अधिकारियों (एसजेपीयू) और डीसीपीयू के पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए परामर्श बैठक

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा

न्यायिक अकादमी झारखंड, रांची के सहयोग से आयोजित

कार्यक्रम का स्थान:- **न्यायिक अकादमी, झारखंड, रांची**

दिनांक:- **18 मई, 2025 (रविवार)**

उद्घाटन सत्र प्रातः 10.00 बजे से 11.15 बजे तक

प्रातः09.30 बजे से 09:55 बजे तक – पंजीकरण

प्रातः 10.00	मंच पर माननीय गणमान्य व्यक्तियों का आगमन
प्रातः 10.00 बजे से 10.05 बजे तक	पुस्तक/गुलदस्ता की भेंट करना दीप प्रज्वलन
प्रातः 10.05 से 10.10 तक	श्री राजेश शरण सिंह, निदेशक, न्यायिक अकादमी, झारखंड द्वारा स्वागत भाषण
प्रातः 10.10 से 10.15 तक	डॉ. संघमित्रा बारिक,संयुक्त निदेशक, निपसिड, नई दिल्ली द्वारा परामर्श बैठक की संक्षिप्त रूपरेखा
प्रातः 10.15 से 10.20 तक	श्री अभय नन्दन अंबस्था , भा . प्र . से . अपर सचिव महिला बाल विभाग और सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा भाषण
प्रातः 10.20 से 10.30 बजे तक	**विशिष्ट अतिथि** **माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुभा रावत चौधरी** **न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय** द्वारा संबोधन
प्रातः 10.30 से 10.40 तक	**मुख्य अतिथि** **श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, माननीय कैबिनेट मंत्री,** **महिला एवं बाल विकास, भारत सरकार** द्वारा भाषण
प्रातः 10.40 से 10.42 तक	न्यायिक अकादमी झारखंड द्वारा तैयार एवं प्रकाशित पाठ्यक्रम सामग्री के संशोधित संस्करण का विमोचन
प्रातः 10.42 से 10.45 तक	श्री सत्यकाम प्रियदर्शी, अपर निदेशक, न्यायिक अकादमी, झारखंड द्वारा धन्यवाद ज्ञापन
प्रातः 10.45	राष्ट्रगान के बाद समूह फोटोग्राफ

प्रातः 10.50 से 11.15 तक चाय पान

समय	विषय	विशेषज्ञ
प्रथम तकनीकी सत्र		
सुबह 11.15 बजे से 11.45 बजे तक	**कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों तथा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए झारखंड राज्य सरकार की पहल** ● कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों का पुनर्वास ● अभिसरण की आवश्यकता और उपलब्ध विभागीय योजनाओं और सेवाओं पर विशेष ध्यान	**श्री अभय नन्दन अंबस्था, भा . प्र . से . अपर सचिव,** **महिला बाल विभाग और सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार**
दूसरा तकनीकी सत्र		
सुबह 11.45 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक	**किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015: नए आपराधिक कानूनों (बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए) के आलोक में चर्चा** ● नए आपराधिक कानूनों (बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए) में संशोधन: किशोर न्याय प्रणाली पर इसका प्रभाव। ● सीसीएल द्वारा ऑनलाइन अपराध और मोटर वाहन अधिनियम, 2019 से संबंधित अपराध: विश्लेषण और उपचार की खोज।	**श्रीमती वंदना सिंह,** **अधिवक्ता, झारखंड उच्च न्यायालय**
तीसरा तकनीकी सत्र		
दोपहर 12.30 बजे से 1.00 बजे तक	**पोक्सो अधिनियम, 2012 का कार्यान्वयन: मुद्दे और चुनौतियाँ**	**डॉ. संघमित्रा बारिक,** **संयुक्त निदेशक, निपसिड**
	मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल	**श्री जुनैद -उल- इस्लाम** **वरिष्ठ सलाहकार, म.बा.वि.मंत्रा.**
दोपहर 1.00 बजे से 2.00 बजे तक	**भोजन**	
चौथा तकनीकी सत्र		
दोपहर 2.00 बजे से 3.15 बजे तक	**जेजे अधिनियम एवं जेजेबी एवं बाल न्यायालय की भूमिका** ● छोटे, गंभीर और जघन्य अपराधों से निपटना ● मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना ● बच्चों का पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श आदि।	**माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. रवीन्द्र भट्ट सर्वोच्च न्यायालय (सेवानिवृत्त)**
5वां तकनीकी सत्र		
सायं 3.15 बजे से 4.30 बजे तक	**मिशन वात्सल्य पोर्टल और जेजेबी, सीडब्ल्यूसी, एसजेपीयू आदि की भूमिका।**	**श्री चांद किरण छोकर,** **संयुक्त निदेशक, एनआईसी, म.बा.वि.मंत्रा.**
सायं 4.30 से 4.35 तक	**समापन भाषण**	**श्री अपूर्व साहा, सहायक निदेशक, निपसिड**
	चायपान एवं अग्रिम कार्रवाई	